



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19597

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45019/2025

धनराज एवं 5 अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अमर सिंह यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:-

i). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम-अतनपुर, परगना-सिकंदरा, तहसील-फूलपुर, जिला-प्रयागराज में स्थित गाटा संख्या 354/9, 354/7, 354/2 और 259/3 पर याचियों के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

ii). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याची के आवेदन दिनांक 08.10.2025 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 3), जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष संबित है, पर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें।"

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और गाँव सभा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि याची निजी व्यक्तियों से व्यथित है, तो उसके लिए उचित मार्ग 'सामान्य विधि उपचार' के लिए आवेदन करना है।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची निजी व्यक्तियों के विरुद्ध राहत चाहता है, जिसे रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कानून भली-भांति स्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध 'परमादेश' जारी नहीं किया जा सकता और उपयुक्त उपचार सामान्य विधि (सिविल न्यायालय) के अंतर्गत आता है।
4. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका को सामान्य विधि उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है, यदि वैसी सलाह दी गई हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"